A 6 R J

3

Annexure R-3 (COLLY)

छत्तीसगढ़ शासन
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय डी.के.एस.भवन, रायपुर

क्रमांक 8390/मु./छ.ग.प.सं.मं./2010 रायपुर, दिनांक 06/03/2010

प्रति,

1. संभागायुक्त ....छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिरीक्षक..छत्तीसगढ़

विषय :– लाऊड स्पीकर, ध्वनि विस्तारकों एवं वाहनों में लगाये जा रहे सायरन, हूटर व प्रेशर हार्न के उपयोग में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को कड़ाई से लागू करने के बाबत्।

संदर्भ:– श्री रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र कमांक क्यू 15022/2/08–सीपीडब्लू दिनांक 04 फरवरी 2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र की छायाप्रति संलग्न है पत्र शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण से संबंधित है । पत्र के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने है । ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 भी अधिसूचित किए गए हैं। इस नियम में कुछ संशोधन करते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम 2010 अधिसूचित किए गए है ।

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में ही एक सिविल याचिका कमांक 72/98 एवं सिविल अपील नंबर 3735 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए है। राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों एवं उपरोक्त अधिसूचनाओं का पालन सुनिश्चित कराएँ। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग पर आवश्यक नियंत्रण हेतु कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. लाऊड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करनें वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी.(ए), से अधिक नहीं अथवा इनमें से जो भी कम है, से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. लाउडस्पीकर या माईक सेट का उपयोग बिना जिलादंडाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना न किया जाये। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य किसी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम (Drum) या टॉम–टॉम (Tom-Tom) या ट्रमपैट (Trumpet) पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3. अतिसंदेवनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम 100 मीटर दूरी तक पटाखे न फोड़े जाएं। इसी प्रकार इनसे 100

CamScanner

मीटर की दूरी तक प्रेशर हार्न या म्युजिकल हार्न या अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एम्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित है।

4. किसी निजी उपयोग के स्थान की सीमा पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के लिए निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता सीमा से पांच डी.बी.ए. से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच वाहनों के हॉर्न का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

6. सभी विकास एवं निर्माण संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं एवं अन्य संबंधित विभाग, प्रगति एवं विकास हेतु की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के दौरान ध्वनि प्रदूषण की निर्धारित सीमाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

7. ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिसका की नामांकन राज्य शासन द्वारा किया जाता है, (जो कि किसी भी जिले का डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या ऐसा अधिकारी जो कि डी0एस0पी0 के नीचे के स्तर का न हो) कार्यवाही कर सकता है।

8. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में 1987 में किये गए संशोधन में वायु प्रदूषण की परिभाषा में शोर को भी शामिल किया गया है। अतः वायु अधिनियम के प्रावधान ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी लागू माने जाते है।

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 290 एवं 291 ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु अधिकार सौंपे गए है।

यह भी देखा जा रहा है कि, कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें इसकी पात्रता नहीं है, अपने वाहनों में सायरन या हूटर लगा कर समय-असमय उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है एवं नियमों का भी उलंघन होता है ।

कृपया आप माननीय न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। आपका इस दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से इस समस्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु एक कारगर प्रयास होगा।

(एन. बैजेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृ.क्रमांक 8391/मु./छ.ग.प.सं.मं./2010 रायपुर, दिनांक 06/03/2010

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधीश जिला-.....,छत्तीसगढ़.
2. पुलिस अधीक्षक -.....,छत्तीसगढ़.

(एन. बैजेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव,

RP-3

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 04-07/2015/32 रायपुर, दिनांक 28/12/2015

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-.............................

विषय:- ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के संबंध में।

----::00::----

जैसा कि आपको विदित ही है कि भारत शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 अधिसूचित किये गये हैं। यह नियम दिनांक 14/02/2000 से प्रभावशील है। सुलभ संदर्भ हेतु नियम की प्रति संलग्न है।

इस नियम के प्रावधानों में नियम के पालन हेतु विहित प्राधिकारी जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर एवं संबंधित नियमों के परिपालन हेतु नामित उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को बनाया गया है। इसके नियम '8' के प्रावधान में विहित प्राधिकारी को किसी लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हॉर्न, निर्माण उपकरणों एवं अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों आदि को प्रतिबंधित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्रमांक 72/98(सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील क्रमांक 3735 ऑफ 2005 में भी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 77/2015 (सीजेड) एन. वेदराज विरूद्ध भारत सरकार एवं 06 अन्य, 108/2015 (सीजेड) शैलेन्द्र सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं 09 अन्य तथा 109/2015 (सीजेड) होप वेलफेयर सोसायटी विरूद्ध मध्यप्रदेश सरकार एवं 08 अन्य में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुये दिनांक 14/10/2015 को पारित आदेश में निम्नानुसार का उल्लेख किया गया है:-

> "Time and again the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Courts and this Tribunal in the Principal Bench as well as the Zonal Benches have been emphasising the need to curb the [illegible] of microphones, loudspeakers, amplifiers [illegible]

6:00am as per EIA notification and Rules under Environment (Protection) Act, 1986. The Administration must come heavily on all defaulting parties and such equipments in the event of such default being noticed should be seized immediately and not returned unless permission is sought from this Tribunal. Continuous monitoring and patrolling by police and homeguard personnel and Zonal Magistrates in this regard is essential as not only the nuisance of noise pollution can be taken care of but at the same time, as it is often reported that unlawful activities in the name of religious festivities antisocial elements who are carried on which would also be curbed to a large extent."

राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि ध्वनि विस्तारक उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण परिवेशीय वायु में निर्धारित ध्वनि स्तर मानकों का उल्लंघन हो रहा है एवं बढ़ता ध्वनि प्रदूषण जनसाधारण के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण भी बन रहा है।

राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि प्रदेश के परिवेशीय वायु में निर्धारित ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि –

1. परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने जिले में ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।
2. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5' के उपनियम (1) एवं (2) के प्रावधानों के अनुसार लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग बिना जिलादंडाधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जावे। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे के मध्य खुले में लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, म्यूज़िकल इन्स्टुमेंट, ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम (Drum) या टॉम–टॉम (Tom -Tom) या ट्रम्पेट (Trumpet) पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावे।
3. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5' के उपनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जावे कि जिस सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्त्रोत का उपयोग हो रहा हो, उसकी सीमा पर ध्वनि स्तर उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर की सीमा से 10 dB(A) अथवा 75 dB(A), जो भी कम हो, से अधिक नहीं हो।
4. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5' के उपनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जावे कि निजी क्षेत्र में पब्लिक सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने [illegible] उपकरण के उप[illegible]

CamScanner

उस निजी क्षेत्र की सीमा पर ध्वनि स्तर सक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर की सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं हो।

5. ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '5ए' के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार शांत क्षेत्र में अथवा रात्रिकाल में रहवासी क्षेत्र में हॉर्न का उपयोग आपातकालीन स्थितियों के अतिरिक्त नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. प्राधिकारी को नियमानुसार रिपोर्ट मिलने एवं समाधान हो जाने के पश्चात् ध्वनि प्रदूषण के कारण समीपस्थ लोगों की समस्याओं के निवारण हेतु किसी लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अथवा अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, डी.जे. सिस्टम एवं समतुल्य ध्वनि विस्तारक उपकरणों आदि के उपयोग को प्रतिबंधित, नियंत्रित अथवा नियमित करना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम '8' के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की जावे एवं परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर मानकों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
7. जिले में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने हेतु एक शिकायत केन्द्र की स्थापना की जाकर इसमें जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जावे, जहॉ ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायतों को दर्ज की जाकर उनका त्वरित निराकरण किया जा सके।
8. जिले में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु दण्डाधिकारियों, पुलिस एवं होमगार्ड्स के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग तथा पेट्रोलिंग कर उपरोक्त का पालन सुनिश्चित कराया जावे। साथ ही ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दूषप्रभाव के संबंध में जनसामान्य को जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जनजागरूकता का कार्यक्रम भी किया जावे।
9. पूर्व में विभाग द्वारा उपरोक्त के संबंध में जारी निर्देश पत्र कमांक 8390, दिनांक 06/03/2010 का भी पालन सुनिश्चित किया जावे। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अमन कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

CamScanner